कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव (छ.ग.)

-:: विज्ञापन ::-

जिला कोण्डागांव में बस्तर फाईटर आरक्षक के दर्शाये अनुसार पदों पर भर्ती के लिए आगे वर्णित प्रकिया के अनुसार भर्ती आयोजित की जा रही है। इस विज्ञापन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों (केवल कोण्डागांव जिले के स्थानीय निवासी) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में भरकर नीचे दर्शित स्थानों पर कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। जो आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा तथा उसकी पावती की रसीद भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक को अपने साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोण्डागांव में अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जायें। **इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य/मान्य नहीं किये जा सकेंगे।**

आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 02/11/2026

आवेदन पत्र जमा की अंतिम तिथि 12/12/2026 (कार्यालयीन समय सायं 05.00 बजे तक)

01.रिक्त पदों की संख्या-

राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत् सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में समय-समय पर वृद्धि या कमी की जा सकेगी।

जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या (जाति वर्गवार)				योग	स्थान जहां आवेदन पत्र जमा होगा
	अनारक्षित	अपिव	अजा	अजजा		
कोण्डागांव	10	11	03	57	**81**	01.कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव 02.अनु0अधिकारी (पुलिस) कार्यालय कोण्डागांव 03.अनु0अधिकारी (पुलिस) कार्यालय फरसगांव 04.अनु0अधिकारी (पुलिस) कार्यालय केशकाल **पंजीकृत भारतीय डाक द्वारा** कार्यालय पुलिस अधीक्षक संयुक्त कार्यालय, जिला कोण्डागांव, पिन.नं.494226 को प्रेषित किये जायेंगे

02.**आरक्षण** :- शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% आरक्षण का प्रावधान है। 30% पदों की सीधी भर्ती छ0ग0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) के अनुसरण में, कोण्डागांव जिला की स्थानीय महिला अभ्यर्थियों से समस्तरीय आरक्षण द्वारा की जावेगी। शासन के निर्देशानुसार नगर सैनिकों के लिए 25% निर्धारित समस्तरीय आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जावेगा। सहायक आरक्षकों के लिए 15% समस्तर आरक्षण लागू होगा। छ0ग0 शासन के पत्र दिनांक 14.10.2026 के तहत् पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% समस्तरीय तथा श्रेणीवार आरक्षण लागू होगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं नियम लागू होंगे।

03.**आयुसीमा** :-

(क)- उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

(ग)- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, जिला कोण्डागांव के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ)- उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयुसीमा में समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अधीन होंगी।

04.शैक्षणिक अर्हता :- छत्तीसगढ़/ मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण होना तथा अनूसूचित जनजाति के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगें । प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे । निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी ।

05.शारीरिक अर्हता :-

<u>ऊंचाई</u> - 163 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

150 से.मी. या उससे अधिक (**अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये**)

153 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)

148 से.मी. या उससे अधिक **(अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये)**

<u>सीना</u> - बिना फुलाये 79 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 74 से.मी.) तथा
फुलाने पर 84 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 79 से.मी.)

(सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 5 से.मी. सीना फुलाना अनिवार्य है)

(महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी ।)

उंचाई एवं सीने की नापतौल में **चयन समिति** का निर्णय अंतिम होगा ।

अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट-फुट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फ्लैट-फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखो से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र में पुरूष उल्लेखित होने पर पुरूष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे। तद्संबंध में उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06. चयन प्रक्रिया :-

<u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u> :- चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में सम्पादित की जावेगी। फाईटर आरक्षक के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेंजों की जांच, शारीरिक नापजोख के पश्चात् शारीरिक दक्षता परीक्षा (लंबी कूद, उंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़-प्रत्येक शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 20 अंक) 100 अंक होगा।

उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है । अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, स्थानीय भौगोलिक संरचना, संस्कृति, परम्परा, समाजिक मूल्य तथा अंक गणित) के कुल 50 अंक होंगे एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। समान कट्आफ अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित रहेंगे।

07.साक्षात्कार :- साक्षात्कार 20 अंक (अधिकतम)

बोनस अंक :- 30 अंक (अधिकतम) मोटर वाहन चालन का हैवी लायसेंस धारी (05 अंक) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) का "सी" प्रमाण पत्र (05 अंक) जिले की स्थानीय बोली का ज्ञान (20 अंक) बोनस के रूप में देय होंगे।

नोट-

01. बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए।
02. उम्मीदवारों के शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं अर्जित किये गये बोनस अंकों के महायोग के आधार पर अंतिम अर्हता सूची बनायी जावेगी।
03. अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच, शारीरिक माप, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये पृथक से तिथि जारी किया जावेगा।

निर्देश :-

01. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे।
02. नियुक्ति हेतु समस्त विहित अर्हता/प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए।
03. संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।
04. आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है।
05. अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
06. विज्ञापन प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव जिम्मेदार नहीं होगा।
07. सम्पूर्ण भर्ती नियम एवं अन्य विवरण जिला पुलिस कोण्डागांव के वेबसाईट **https://kondagaon.cgpolice.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर जिला पुलिस कोण्डागांव की वेबसाईट एवं छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट **https://cgpolice.gov.in** का अवलोकन करते रहे।
08. सम्पूर्ण भर्ती प्रकिया शासन के अधिसूचना क्रमांक ESTB-1/762/2025-HOME SECTION दिनांक 31.08.2026 नियमों के अधीन रहेगी।
09. अभ्यर्थी की निरर्हता उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 09 (नौ) में वर्णित शर्तो के अधीन रहेगी।

दिनांक .....

जारीकर्ता
पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

बस्तर फाईटर आरक्षक आवेदन पत्र

:: आवेदक इसे अपने स्वच्छ/स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरेंगे ::

नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें, जो 3 माह से पूर्व का न हो

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला-कोण्डागांव

1- आवेदित पद का नाम :-**बस्तर फाईटर आरक्षक**

2- आवेदक का नाम (हिन्दी में) :----------

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में :----------

वर्ग (Gender) महिला वर्ग.....पुरूष वर्ग.....

(यदि तृतीय लिंग वर्ग हो,तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

3- पिता/पति/माता का नाम (हिन्दी में) :----------

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में :----------

4- जन्मतिथि अंकों में (DD/MM/YYYY) :-...../...../.....

जन्मतिथि (शब्दों में) :- .....

01.01.2026 को आयु------वर्ष-----माह-------दिन

(आयु निर्धारण हेतु संलग्न प्रमाण पत्र - .....)

(यदि नियमानुसार आयु सीमा में छूट के लिए अर्ह है, तो संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें- .....)

5- मोबाईल नंबर :----------

6- ई-मेल :----------

7- शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
कक्षा पांचवी					
कक्षा आठवीं					
कक्षा दसवीं					
कक्षा 12वीं					
स्नातक-					
अन्य योग्यता-					

(उपरोक्त की अंकसूची/प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

8- मोटर वाहन चालन का हैवी लायसेंस/एनसीसी-सीप्रमाण पत्र (NCC - C)/एनएसएस-सी प्रमाण पत्र (NSS - C) यदिहो, तो संलग्न करें :----------

9- वर्तमान पत्र व्यवहार का पता:-ग्राम----------पोष्ट----------

थाना----------तहसील----------

जिला----------

10- स्थायी पता :-ग्राम----------पोष्ट----------

थाना----------तहसील----------

जिला----------

11- आधार कार्ड नंबर या वोटर आईडी नं. :- .....(आधार कार्ड/वोटर आईडी)

12- क्या आप सहायक आरक्षक हैं ? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13- क्या आप कोण्डागांव जिले के स्थानीय निवासी हैं ? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14- क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त :- हॉ/नहीं

वर्ग-अपिव/अजा/अजजा के सदस्य हैं? यदि हॉ तो वर्ग :---------

(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

15- क्या आप नक्सल पीड़ित परिवार से संबंधित है ? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

16- क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ,तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

17- क्या आप भूतपूर्व अग्निवीर सैनिक हैं? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

18- क्या आप होमगार्ड (नगर सैनिक) हैं/रह चुके हैं ? :- हॉ/नहीं

(यदि हॉ तो जिला सेनानी होमगार्ड द्वारा जारी सेवा
अवधि का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

19- क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा :- हॉ/नहीं
छ0ग0 राज्य/निगम/मण्डल के स्थायी/अस्थायी
कर्मचारी हैं ?(यदि हॉ तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा
अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

20- क्या आपक भी शासकीय सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड/ :- हॉ/नहीं
मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं ?
(यदि हॉ तो पूर्ण विवरण लिखें)

21- क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये :- हॉ/नहीं
हैं, क्या आप पर अभियोजन चलाया गया है ? यदि हुए हैं
जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा
दोषी ठहराए गये हैं तो पूर्ण विवरण दिया जावे साथ ही
अपराध क्रमांक/धारा/थाना एवं जिला सहित पूर्ण विवरण दर्शायें।

22- क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय :- हॉ/नहीं
किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई
मामला लंबित है ? विवरण देवें।

23- आवेदक विवाहित है या अविवाहित है:- :- हॉ/नहीं

यदि हां, तो विवाह की तिथि----------

-: घोषणापत्रः -

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी नियुक्ति की पात्रता या नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम- .....

दिनांक- .....

स्थान- .....

संलग्न-

(प्रमाण पत्रों का विवरण एवं संख्या)

1- ----------

2- ----------

3- ----------

4- ----------

5- ----------

--------X ----------XX----------X ----------

-: पावती :-

नाम-.....पिता का नाम .....आधार कार्ड नं./वोटर आईडी नंबर.....वर्ग.....मोबाईल नंबर.....

ई/मेल.....पत्राचार का पता .....

बस्तर फाईटर आरक्षक पद हेतु आवेदन पत्र दिनांक .....को प्राप्त हुआ है।

जिला- .....

स्थान- .....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता